संख्या:17/2026/263ई-2/तेरह-2026-400005

प्रेषक,

दयाराम

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 08 अप्रैल, 2026

विषयः-मेसर्स धामपुर वायो आर्गेनिक्स लि., यूनिट असमौली डिवीजन बायो फयूल्स एण्ड स्प्रिट्स सम्भल द्वारा सुपीरियर स्प्रिट्स लि. ऑफिस 106 द बिलारल, अल अबराज स्टिरीट, बिजनेस, बेए पो. बॉक्स-413383 दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात को 3,40,000 बल्क लीटर ग्रेन ई.एन.ए. को (देश के बाहर) निर्यात किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-32/नौ-अल्कोहल/1143/2025-26/ई.एन.ए./निर्यात/डी.बी.ओ.एल., दिनांक 25-03-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 25-03-2026 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स धामपुर बायो आर्गेनिक्स लि. यूनिट आसमौली डिवीजन बायो फ्यूल्स एण्ड स्प्रिट, सम्भल को अल्कोहल वर्ष 2025-26 में 3,40,000 बल्क लीटर ग्रेन ई.एन.ए. को देश के बाहर निर्यात किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) प्रदेश में शीरा/अल्कोहल की कमी होने पर ग्रेन ई.एन.ए. के निर्यात पर आबकारी विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने पर आसवक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(2) यह निर्यात मेसर्स धामपुर बायो आर्गेनिक्स लि. यूनिट आसमौली डिवीजन बायो फ्यूल्स एण्ड स्प्रिट जनपद-सम्भल की स्वीकृत अधिष्ठापित औद्योगिक क्षमता के अन्तर्गत ही होगा।

(3) प्रदेश में ग्रेन की कमी होने पर आसवक द्वारा ग्रेन का आयात कर ग्रेन ई.एन.ए. का निर्यात किया जायेगा।

(4) ग्रेन ई.एन.ए. की देश के बाहर निर्यात किये जाने की स्थिति में निर्यात फीस नहीं ली जायेगी।

(5) आवेदक द्वारा देश के बाहर ग्रेन ई.एन.ए. के निर्यात हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर एक परमिट के अन्तर्गत 50,000 बल्क लीटर तक के निर्यात की अनुमति प्रदान की जायेगी। इस निर्यात परमिट हेतु प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रासेसिंग फीस रू.50,000/- जमा किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दयाराम)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in